न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमों (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(ख) के अंतर्गत

परमिशन वाद संख्या 98 वर्ष 2023

आवेदक– लालमोहन महतो | क्रेता– मनोज कुमार एवं अन्य

ग्राम – सिंहपुर | ग्राम – डुमरकुदर | टोला– ——

थाना – कसमार | जिला–बोकारो | थाना – कसमार | जिला– बोकारो

आदेश की क्र0 सं0 एवं तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ। 03

15/07/23

आदेश

यह वाद आवेदक– लालमोहन महतो पिता धुरेन्द्र नाथ महतो निवासी ग्राम सिंहपुर थाना–कसमार जिला –बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1).(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवतः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
चोली	138	71	605	51 डी0	15¼ डी0	कृषि योग्य

को वे अपना आवश्यक घरेलू खर्च हेतु मो0 73,000/– (तिहत्तर हजार) रूपये में क्रेता– 01. मनोज कुमार 02. रास बिहारी महतो दोनों के पिता बिनोद महतो निवासी ग्राम डुमरकुदर थाना–कसमार जिला –बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1).(ख) के आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत किया गया तथा इस कार्यालय के पत्रांक 795/रा0 दिनांक 21.06.2023 के माध्यम से अंचल अधिकारी, कसमार से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, कसमार के पत्रांक 352 दिनांक 07.07.2023 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:–

01. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों कुर्मी जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं ग्राम सिंहपुर थाना–कसमार एवं बिक्रेता ग्राम डुमरकुदर थाना–कसमार जिला–बोकारो का मूल एवं वर्तमान निवासी हैं।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि मौजा चोली खाता न0 71 सर्वे खतियान में बकास्त दर्ज है। उक्त जमीन बिक्रेता स्वयं के नाम निबंधित केवाला सं0 1016 दिनांक 03.05.2000 से हासिल है तथा उसकी जमाबन्दी पंजी–II के पृष्ठ सं0 58/III पर स्वयं बिक्रेता के नाम से दर्ज है एवं वर्ष 218–19 तक सरकारी लगान रसीद निर्गत है।
03. बिक्री वाली जमीन बिक्रेता के दखल–कब्जे की है।
04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, अधिग्रहण क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता लालमोहन महतो

के द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन उनके स्वयं के नाम निबंधित केवाला से क्रय की हुई है एवं उनका लगान रसीद भी उन्हीं के नाम से निर्गत होता है। उक्त जमीन को वे आवश्यक घरेलू खर्च के लिए बिक्री कर रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन विवादित नहीं है, तथा वर्तमान में बिक्रेता के शान्तिपूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्षों के द्वारां निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत किया गयाः–

01. बिक्रेता– स्वयं के नाम निबंधित केवाला सं0 1016 दिनांक 03.05.2000, नाम सरकारी लगान रसीद, स्वयं के नाम जाति/आवासीय प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की छायाप्रति।

02. क्रेता– स्वयं के नाम जाति/आवासीय प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड की छायाप्रति।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी कसमार से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनों कुर्मी जाति के सदस्य हैं, जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं तथा एक ही थाना एवं जिला निवास करने वाले हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता स्वयं के नाम निबंधित केवाला से क्रय की हुई है, जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

अतः आवेदक– लालमोहन महतो पिता धुरेन्द्र नाथ महतो निवासी ग्राम सिंहपुर थाना–कसमार जिला–बोकारो को निम्नांकित भूमि :–

मौजा	खाता न0	प्लॉट न 0	कुल रकबा	बिकी रकबा	उत्तर सीमा	दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
चोली 138	71	605	51 डी0	15¼ डी0	फागु महतो	महावीर साव	नीज क्रेता वो मनोरंजन महतो	आज क्रेता रथु महतो वो मुचीराम महतो
योग				15¼ डी0	**पंद्रह पूर्णांक एक बटा चार डीस्मिल मात्र**			

को मो0 73,000/–(तिहत्तर हजार) रूपए या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम् भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता– 01. मनोज कुमार 02. रास बिहारी महतो दोनों के पिता बिनोद महतो निवासी ग्राम डुमरकुदर जिला –बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

Digitally signed by SADANAND MAHTO
Date: 2024.09.09 11:47:54 +05:30
Location: 192.168.1.3